संयुक्त भारत बीमा कम्पनी लिमिटेड

बनाम

सुरेश के.के. और अन्य

(सिविल अपील नम्बर 2565/2008)

4 अप्रेल 2008

(एस. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंटा जेजे.)

मोटर वाहन अधिनियम 1998

धारा 147 1) व 166- तीन पहिया माल वाहक- दुर्घटना- वाहन चालक के बगल में बैठे व्यक्ति को चोट लगना जिसके द्वारा स्वयं माल के स्वामी के रूप में दावा किया गया- क्षतिपूर्ति देने के लिए उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया- उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही हो सकता है कि माल का मालिक धारा 147 1) की शर्तों में शामिल हो सकता है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति या तो यात्रि या वाहन का स्वामी चालक की सीट को सांझा करने के लिए समर्थन नहीं दे सकता- बीमा की संविदा की शर्तों का उल्लंघन साबित होता है- न्यायाधिकर- व उच्च न्यायालय को वाहन मालिक को बीमा अनुबंध की शर्तों का दोषी मानना चाहिए था- हालांकि यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि दावेदार कूली होने के कार- सक्षम नहीं हो सकता है वाहन के मालिक से बकाया राशि की वसूली करें पक्षों के मध्य पूर्ण न्याय बीमाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि दावेदार को राशि के अदायगी करे और मालिक से इसकी वसूली करे- बीमा पॉलिसी- बीमा की शर्तों का उल्लंघन- भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 142

सन्दर्भित किया गया

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयनः सिविल अपील संख्या 2565 (2008) के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07-04-2006 से एम-ए-सी-ए-सं- 1018 (2004) में केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम नंदवानी एस.के. मिश्रा राज किशोर चौधरी

अपीलार्थी की ओर से देबाशीष मिश्रा

न्यायालय का आदेश निम्नानुसार है-

अनुमति दी गई।

नोटिस तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

इस अपील में विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जिसने माल ढोने वाला वाहन किराए पर लिया है वह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147 की उप- धारा 1 के दायरे में आएगाए हालांकि ऐसा कोई सामान नहीं था जो वाहन में ले जाया गया हो।

दावेदार प्रतिवादी एक कुली कर्मचारी था। उसने कथित तौर पर एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था जो माल ढोने वाला वाहन है जिसका पंजीकर- नंबर केएल- 8 एम 8568 है। हादसा उस समय हुआ जब वह ड्राइवर के पास बैठा था। उनके मुताबिक ड्राइवर बेहद तेजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। जब वाहन कंदनचिरा के पास पहुंचा तो चालक ने बिना ब्रेक लगाए उसे बाईं ओर मोड़ दियाए जिससे वह पलट गई। दावेदार को कथित तौर पर निम्नलिखित चोटें लगीः

1. बाएं पैर के एक तिहाई हिस्से की दोनों हड्डियों के निचले हिस्से में कंपाउंड अस्थि भंग और कई खरोंचें।

2. आर और आर पैर क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 2.25 लाख रुपये की राशि के लिए दावा आवेदन दायर किया‌ए जिसका विवरण इस प्रकार हैः

ए) 13-08-99 से अब तक कमाई का नुकसान रु- 15000

बी) कमाई का आंशिक नुकसान से .....को .....

रुपये की शुद्ध दर पर .....

एक दिन सप्ताह रु- 10000

ग) अस्पताल का परिवहन रु- 3000

घ) अतिरिक्त पोषण- 25000

ई) कपड़ों और सामान की क्षति रु- 2000

च) अन्यः चिकित्सा व्यय रु- 40000

कुल 95000

छ) दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा रु- 30000

ज) निरंतर या स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजा, यदि कोई हो तो रु- 50000

प) रुपये की कमाई के नुकसान का मुआवजा- 50000

कुल 130000

कुल रु- 225000

अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में यह तर्क उठाया कि यद्यपि प्रश्नगत वाहन का बीमा किया गया था लेकिन वह वाहन के मालिक की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि घायल उसमें ले जाए गए कथित सामान का मालिक नहीं था और वह यात्रा कर रहा था। एक निःशुल्क यात्री पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। दिनांक 23-01-2003 के फैसले के आधार परए ट्रिब्यूनल ने कहाः

"10. मैंने पहले ही पाया है कि दुर्घटना प्रथम प्रतिवादी द्वारा मालवाहक ऑटो रिक्शा को तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कार- हुई थी। दुर्घटना के समय वह उस वाहन का मालिक भी था यह प्रदर्श ए 3 से स्पष्ट है। प्रदर्श ए 3 ए जो वाहन के निरीक्ष- की रिपोर्ट है। इसलिए वह दुर्घटना के समय दूसरे प्रतिवादी के साथ रिक्शा का बीमा कराने के लिए उत्तरदायी है। प्रदर्श बी1 बीमा पॉलिसी की प्रति है इसलिए वे प्रतिवादी 1 और 2 याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। विवाद्यक तद्नुसार पाया गया है् दावेदार के पक्ष में 119300 प्रति वर्ष 9 रू ब्याज के साथ रुपये की राशि प्रदान की गई। अपीलकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा में माल शब्द का उपयोग किया गया था यह वाहक शब्द का संदर्भ नहीं है जिसमें कहा गया हैः

हमारे अनुसार संशोधित प्रावधान की भाषा यह नहीं दर्शाती है कि मालिक या प्रतिनिधि को सामान के साथ जाना होगा या उसका प्रतिनिधि जो वाहन किराए पर लेता है वह किराए के वाहन में किराए के स्थान से उस स्थान तक यात्रा करता है जहां सामान ले जाया जाता है। वाहन में लादा जाता है और फिर सामान के साथ यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। यह भी आम बात है कि सामान उतारने के बाद ऐसे यात्री उसी वाहन से उस स्थान तक यात्रा करते हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। यात्री ऐसा

करता है और उसे माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि के रूप में ऐसा करने की अनुमति है जिसने माल परिवहन के लिए वाहन किराए पर लिया है। संशोधित प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि श्ले जाया गयाश् शब्द माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि को संदर्भित करता है न कि ले जाए गए माल को। यदि दुर्घटना के समय वाहन के अंदर सामान पाया जाता है तो यह स्थापित करने के लिए एक निर्णायक परिस्थिति है कि जो यात्री सामान का मालिक या मालिक का प्रतिनिधि होने का दावा करता है वह उस क्षमता में यात्रा कर रहा था। इस संबंध में यात्रियों या बीमाधारक द्वारा झूठे दावे करने की संभावना विधानमंडल की मंशा को सुनिश्चित करने का सुरक्षित तरीका नहीं हो सकता है। झूठे दावों को उचित तर्कों द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। हमारे विचार में ऐसे मुद्दे साक्ष्य के मामले हैं और मोटर दुर्घटनाओं के निर्दोष पीड़ितों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से एक लाभकारी प्रावधान की व्याख्या करते समय जांच नहीं की जाएगी। वह पक्ष जो दावा करता है कि माल के मालिक का प्रतिनिधि व्यक्ति उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करेगा। केवल इस कार-से कि दिए गए लाभ का दुरुपयोग किया जाएगाए उपरोक्त प्रावधान की संकीर्- व्याख्या करना उचित नहीं होगा। इसलिए हम यह मानते हैं कि जब मालवाहक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे यात्री को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है तो मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि को हमेशा माल के साथ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है जो या तो माल का मालिक है या माल के मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नंदवानी ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस पर विचार करने में विफल रहा है।

1. जिस वाहन की बात हो रही है वह एक मालवाहक वाहन है चालक किसी को भी अपने पास बैठने की अनुमति नहीं दे सकता था।

2. न्यायाधिकर- और उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि दावेदार प्रतिवादी माल का मालिक था खासकर तब जब वहां कोई माल ले जाया हुआ नहीं पाया गया।

3. धारा 147 की उप- धारा 1 के खंड; बी के उपखंड; प को स्पष्ट रूप से पढ़ने परए ष्वाहन में ले जाया गया् शब्द को माल का मालिकष् या ष्ठनका अधिकृत प्रतिनिधिष् माना जाना चाहिए।

4. धारा 147; बी; प इस प्रकार हैः माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व के विरुद्ध वाहन में ले जाया गया या सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग से होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान।

5- धारा 147 अनिवार्य बीमा का प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान के संदर्भ में बीमा की पॉलिसी बीमा कराने के लिए मांगी गई पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में होनी चाहिए। बीमा किसी भी दायित्व के विरुद्ध होगा जो बीमाधारक पर पड़ता है।

बीमा पॉलिसी अन्य बातों के साथ- साथ वाहन में ले जाए गए व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सामान का मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि हो सकता है।

इसलिए उच्च न्यायालय सही हो सकता है कि मालिक या सामान उक्त प्रावधान के संदर्भ में कवर किया जाएगा।

लेकिन जिस प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है वह यह है कि क्या

नीति उस व्यक्ति के संबंध में वाहन के मालिक के दायित्व पर विचार करती है जो माल के मालिक के अलावा किसी अन्य क्षमता में वाहन में था। यदि कोई व्यक्ति सामान के मालिक के अलावा किसी अन्य क्षमता से यात्रा कर रहा है तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। जिस उद्देश्य के लिए प्रावधान को 1994 के अधिनियम संख्या 54 द्वारा संशोधित किया जाना था वह बीमा कंपनी की देनदारी के दायरे को व्यापक बनाना था।

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उक्त प्रावधान के तहत परिकल्पित ष्किसी भी व्यक्ति शब्द में कोई भी अनावश्यक यात्री शामिल नहीं होगा।

1): नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर 2004; 2 एससीसी 1)।

यदि दावेदार माल के मालिक के रूप में वाहन में यात्रा नहीं कर रहा था तो उसे बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। किसी भी दृष्टि से तिपहिया मालगाड़ी में चालक किसी अन्य को अपनी सीट साझा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। किसी अन्य व्यक्ति कोए चाहे यात्री के रूप में या वाहन के मालिक के रूप में ड्राइवर की सीट साझा नहीं करनी चाहिए। अतः बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन स्वीकृत किया जाता है।

इसलिए न्यायाधिकर- और उच्च न्यायालय कोए हमारी सुविचारित राय में यह मानना चाहिए था कि वाहन का मालिक बीमा की शर्तों के उल्लंघन का दोषी है।

हालांकि हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह इस तथ्य को ध्यान में रखते है है कि दुर्घटना 13-08-99 को या उसके आसपास हुई थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते है कि दावेदार एक कुली कर्मचारी था क्या वह वाहन के मालिक से बकाया राशि वसूलने की स्थिति में होगाए हमें नहीं लगता।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते है हमारी राय यह है कि पक्षों के बीच पूर्- न्याय करने की दृष्टि से अपीलकर्ता को दावेदार को राशि का भुगतान करने और मालिक से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारी राय में ऐसा दिशा निर्देश न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।

हम यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर भी पारित कर रहे हैं कि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13-11-06 को जारी निर्देश के अनुसार राशि पहले ही जमा कर दी है।

उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

खर्चा अधिरोपित नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।